प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

30 मार्च, 2026

संघ सरकार (सिविल एवं वाणिज्यिक) पर सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की प्रतिवेदन सं. 36, संघ सरकार (अनुपालन लेखापरीक्षा- सिविल एवं वाणिज्यिक) को आज संसद के पटल पर रखी गई। इस प्रतिवेदन में 29 मंत्रालयों (विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) और संघ सरकार के पांच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों से संबंधित वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों/विभागों और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के 16 उदाहरणात्मक मामले (लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली के एक मामले सहित) शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

संस्कृति मंत्रालय

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एक केंद्र सरकार का अभिकरण है जो स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। एएसआई, उत्तर प्रदेश द्वारा स्मारकों और पुरावशेषों के संरक्षण तथा परिरक्षण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) ने प्रकट किया कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम) ने "राष्ट्रीय महत्व" पर आधारित अधिसूचना की व्यवस्था स्थापित की, परंतु इसके क्षेत्र को परिभाषित करने या कार्यन्वयन के लिए मानक प्रदान करने का कार्य नहीं किया। अधिसूचनाएं अपूर्ण थीं तथा उनमें महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव था। लगभग 86 प्रतिशत अधिसूचनाओं में केंद्रीय संरक्षित स्मारक (सीपीएम) के क्षेत्र/सीमा के विवरण उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख एएसआई मंडलों में 487

सीपीएम में से केवल 31 स्मारकों (6.4 प्रतिशत) के पास भूमि अभिलेख उत्परिवर्तन के माध्यम से उचित स्वामित्व प्रलेखन थे। एएसआई 456 सीपीएम (94 प्रतिशत) का संचालन बिना कानूनी अधिकार के कर रहा था। यूपी में एएसआई मंडलों के अभिलेखों के अनुसार 31 सीपीएम अज्ञात रहे। उत्तर प्रदेश में एएसआई के संबंधित मंडलों में 96 स्मारकों में अतिक्रमण के मामले सूचित किए गए थे। अनुपयुक्त संरक्षण कार्य, रासायनिक संरक्षण की आवश्यकता वाले स्मारक, संरचनात्मक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय महत्व के उपेक्षित स्मारकों के उदाहरण पाए गए। पुरावशेषों को खराब स्थिति में संग्रहीत किया गया था तथा अभी तक केवल 20 प्रतिशत का ही डिजिटलीकरण किया गया था।

विदेश मंत्रालय

- विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली नगर निगम के साथ वास्तव में उपयोग किए गए स्थान के लिए आनुपातिक लाइसेंस शुल्क को औपचारिक रूप दिए बिना अकबर भवन में अप्रयुक्त स्थान को 15 महीने तक अपने पास सखा जिसके परिणामस्वरुप अप्रयुक्त स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹27.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- यद्यपि भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन ने नए चांसरी परिसर में 2011 में निर्मित 16 आवासीय इकाईयों के मरम्मत कार्यों और रखरखाव पर अत्याधिक व्यय किया था। फिर भी छः आवासीय इकाईयां 10 से 13 वर्षों की अवधि के भीतर रहने योग्य नहीं रह गई थीं। इन छः खाली इकाइयों के आवश्यक व्यापक मरम्मत कार्यों/नवीकरण करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹3.22 करोड़ (फरवरी 2025 तक) के किराए का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, मिशन ने पुराने चांसरी परिसर हेतु हीटिंग शुल्क का निरंतर भुगतान किया था, जो 2014 से उपयोग में नहीं था, जिसके कारण 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान ₹74 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।
- भारतीय दूतावास, कोपेनहेगन ने अपने अधिकारियों हेतु पट्टे पर आवास लेने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किराया सीमा का पालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹99.12 लाख का अधिक व्यय हुआ।
- भारतीय दूतावास, तेल अवीव, इजरायल तथा विदेश मंत्रालय दोनों द्वारा अधिग्रहण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ करने तथा विक्रेता द्वारा नियत विस्तारित समय सीमा के भीतर सम्पत्ति

के अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने में विलंब के कारण सौदे की समाप्ति हुई तथा इस प्रकार अधिग्रहण पूर्व गतिविधियों से जुड़ी व्यवसायिक/कानूनी सेवाओं के प्रति ₹92.01 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गोवा, मुंबई तथा पुणे ने संविधान के अनुच्छेद 287 तथा महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम, 2016 की धारा 3(2) तथा गोवा, दमन एवं दीव विद्युत शुल्क अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(1) के अनुसार, विद्युत शुल्क एवं कर से छूट का दावा करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।
- 2017 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली करने के बावजूद, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई और मंत्रालय ने सात वर्ष से अधिक समय तक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से पट्टे पर ली गई सम्पत्ति को अभ्यर्पित करने या उसका वैकल्पिक उपयोग करने को अंतिम रूप नहीं दिया था, जिसके कारण ₹1.38 करोड़ की लंबित देनदारियों सहित ₹76 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

- भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) की कार्य पद्धति पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि इसने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 586 समुद्री-यात्राओं की योजना के सापेक्ष में 372 समुद्री-यात्राएं कीं, जिससे 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इस कारण परिचालन लक्ष्यों अर्थात् समुद्र में दिनों की संख्या में 46 प्रतिशत की कमी आई एवं मछली पकड़ने के दिनों की संख्या में 53 प्रतिशत की कमी आई जिसके परिणामस्वरूप घंटों की संख्या और हुकों की संख्या के संदर्भ में मापे गए नमूना प्रयासों में क्रमशः 61 प्रतिशत और 72 प्रतिशत की कमी आई। 214 नियोजित सर्वेक्षण न होने के कारण एफएसआई को मछली पकड़ने के 4,339 दिनों एवं अनुवर्ती 15,149 घंटे के नमूना प्रयास तथा 12.73 लाख हुकों को छोड़ना पड़ा। यहां तक कि एफएसआई द्वारा आयोजित 372 समुद्री-यात्राओं के नमूना प्रयास में घंटों और हुकों की संख्या में क्रमशः 37 प्रतिशत और 31 प्रतिशत की कमी थी। स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन के लिए पर्याप्त डेटा का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एफएसआई के पास प्रति सर्वेक्षण मछली पकड़ने के न्यूनतम दिनों की संख्या के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं थे, जिस कारण मुंबई और मुरगांव बेस पर पांच दिनों से कम मछली पकड़ने वाले दिनों वाली 21

समुद्री-यात्राएँ दर्ज की गईं। लेखापरीक्षा ने जहाजों की छंटनी की अवधि के दौरान विलंबित निर्णय एवं आकस्मिक स्टाफ/अन्य प्रभारों पर निष्क्रिय व्यय के कारण घाट लगाने/ईंधन प्रभारों पर परिहार्य व्यय पाया। एफएसआई ने आकस्मिक कर्मचारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में कार्मिक प्रशीक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुदेशों का पालन नहीं किया एवं आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के बिना व्यय किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, मुंबई ने अप्रयुक्त गोदाम को खाली करने तथा अभ्यर्पित करने हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त परिसर के किराए एवं सुरक्षा पर ₹1.64 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय हुआ।

गृह मंत्रालय

- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने भूमि अधिग्रहण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ तथा नौ वर्षों से अधिक समय तक ₹6.53 करोड़ की राशि की निधियां अवरुद्ध रहीं।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इकाइयों ने राज्यों (असम, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा) में लागू व्यावसायिक कर अधिनियम के नियमों का अनुपालन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप सीएपीएफ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से ₹26.40 करोड़ का व्यावसायिक कर नहीं काटा गया।
- सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 36वीं बटालियन, गेजिंग, सिक्किम ने वित्त मंत्रालय के अनुदेश के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को उच्च दर पर विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता अदा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹3.18 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

- 2017-18 से 2023-24 के दौरान, भारत सरकार तथा राज्यों/यूटी ने अनुसूचित जाति के 181.45 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ₹5,037.83 करोड़ तथा 348.09 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों हेतु ₹47,840.58 करोड़ का व्यय किया। इन दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियों तथा दिशानिर्देशों से विचलन के मामलों का पता चला। आय तथा जाति मानदंड पर ध्यान दिए बिना लाभार्थियों का चयन, लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों का कई बार भुगतान, स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं हुए छात्रों को छातर्वृत्ति देना, आदि उल्लेखनीय कमियाँ शामिल थीं।

  यद्यपि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है तथा प्रारंभिक सुधारात्मक उपाय प्रारंभ किए हैं तथापि मंत्रालय को, नीति निर्माता तथा नोडल कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में अपनी भूमिका को देखते हुए, संशोधित योजना दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

- 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान, मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 87.10 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों को ₹2,354.51 करोड़ और 151.66 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों को ₹13,695.74 करोड़ खर्च किए। 2017-2021 की अवधि के लिए की गई इन छात्रवृत्ति योजनाओं के परिचालन की लेखापरीक्षा से इनके कार्यान्वयन में कई प्रणालीगत कमियां सामने आईं। इनमें छात्रों के आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय-सीमा का अभाव, संस्थानों, जिलों और राज्यों में नोडल अधिकारियों के लिए निर्धारित परिभाषित भूमिका का अभाव, वित्तपोषण पैटर्न से संबंधित योजना दिशा-निर्देशों में अस्पष्टता, केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए संरचित तंत्र का अभाव और निगरानी एवं शिकायत निवारण में कमियां शामिल थीं।

  यद्यपि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है और प्रारंभिक सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, फिर भी नीति निर्माता और नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपनी

भूमिका को देखते हुए मंत्रालय के लिए संशोधित योजना दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

- राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक निमिटेड ने अर्जित छुट्टी के ऑटोमेटिक नकदीकरण तथा डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में 30 दिनों के बजाए 26 दिनों के आधार पर ईएल/एचपीएल के नकदीकरण की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप 2015-16 से 2023-24 के दौरान कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को ₹33.68 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

BSC/SS/IK/17-26